

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Misc. Petition No. 5318/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री देवांशु शर्मा।
लोक अभियोजक श्री एन.एस. शेखावत।

:: आदेश ::

23.10.2017

नोटिस जारी हो।

राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक नोटिस
स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या-2 का नोटिस आगामी चार सप्ताह में
वापसी योग्य किया जाता है।

योग्य लोक अभियोजक प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट
तलब कर पेश करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-